परिपत्र सं. 15/2025

फा. सं. 225/131/2025/आईटीए-II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

*****

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर, 2025

विषय: - निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए संपरीक्षा के विभिन्न प्रतिवेदनों और आयकर विवरणी (आईटीआर) दाखिल करने की समय-सीमा के विस्तार के संबंध में।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), ने एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 119 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट निर्धारितियों के लिए पिछले वर्ष 2024-25 (निर्धारण वर्ष 2025-26) के लिए आयकर विवरणी (आईटीआर) प्रस्तुत करने की **नियत तारीख** को 31 अक्टूबर, 2025 से बढ़ाकर **10 दिसंबर, 2025** कर दिया है। परिणामस्वरूप, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के निबंधनों के अनुसार, पिछले वर्ष 2024-25 (निर्धारण वर्ष 2025-26) के लिए अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत संपरीक्षा का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की विनिर्दिष्ट तारीख को **10 नवंबर, 2025** तक बढ़ा दिया गया है।

(डॉ. इंदु बाला)

भारत सरकार के उप-सचिव

प्रतिलिपि:

1. वित्त मंत्री के निजी सचिव / राज्य मंत्री (वित्त) के निजी सचिव।

2. राजस्व सचिव के निजी सचिव।

3. अध्यक्ष (सीबीडीटी) एवं सीबीडीटी के सभी सदस्य।

4. सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त / मुख्य आयकर आयुक्त / प्रधान आयकर महानिदेशक / आयकर महानिदेशक।

5. सभी संयुक्त सचिव / आयुक्त, सीबीडीटी।

6. सीबीडीटी के निदेशक / उप-सचिव / अवर सचिव।

7. वेब प्रबंधक को, आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर आदेश डालने के अनुरोध सहित।

8. आयकर आयुक्त (एम एंड टीपी), सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता को, व्यापक रूप से प्रचार करने के अनुरोध सहित।

9. संयुक्त मुख्य आयकर आयुक्त, डाटा बेस सेल को irsofficersonline.gov.in पर डालने के अनुरोध सहित।

10. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।

11. सभी वाणिज्य मंडल।

12. गार्ड फाइल।

(डॉ. इंदु बाला)

भारत सरकार के उप-सचिव